न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– यशपाल आहुजा आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व वाद संख्या :– 57/2018

1 अजायब सिंह पुत्र श्री श्याम सिंह जाति जटसिख निवासी मोहनपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

2 मनजीत कौर पत्नी श्री उजागर सिंह } जाति जटसिख साकिन मोहनपुरा तहसील व

3 सरदूल सिंह पुत्र श्री उजागर सिंह } जिला श्रीगंगानगर जरिये मुखत्यार आम अजायब सिंह पुत्र श्री श्याम सिंह जाति जटसिख साकिन मोहनपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

– – वादीगण

–:: बनाम ::–

1 परमजीत कौर पत्नी श्री बूटा सिंह
2 मनप्रीत सिह पुत्र श्री बूटा सिंह
3 रमनदीप कौर पुत्री श्री बूटा सिंह
4 जंग सिंह पुत्र श्री कपूर सिंह
5 बलजीत कौर पत्नी श्री नक्षत्र सिंह
6 नत्था सिंह पुत्र श्री कर्म सिंह
7 सर्वजीत सिंह पुत्र श्री साधू सिंह
8 अमृतपाल सिंह पुत्र श्री साधू सिंह
} जाति जटसिख निवासी मोहनपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

9 भीमसेन पुत्र श्री कृष्ण लाल जाति जाट साकिन डूंगरसिंहपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

10 सहदेव पुत्र श्री कृष्ण लाल जाति जाट साकिन डूंगरसिंहपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर हाल ढाणी 5 वाई तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

11 कृष्ण लाल पुत्र श्री रामचन्द्र जाति जाट साकिन डूंगरसिंहपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर हाल ढाणी 5 वाई तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

12 जयपाल पुत्र श्री हनुमान जाति जाट साकिन हनुमानपुरा तहसील व जिला झुन्झुनु हाल ढाणी 5 वाई तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

13 राजा राम पुत्र श्री हीरा लाल जाति छिम्पा निवासी 24 एम.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर हाल ढाणी 5 वाई तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

14 विंजय सिंह पुत्र श्री मूल सिंह जाति सैनी निवासी भरत नगर, श्रीगंगानगर हाल ढाणी 5 वाई तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

15 राजवीर सिंह पुत्र श्री केवल सिंह
16 केवल सिंह पुत्र श्री बलदेव सिंह
17 बलदेव सिंह पुत्र श्री दलीप सिंह
} जाति जटसिख निवासी मोहनपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

18 स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर

– – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 आर.टी.ए. बाबत घोषणा एवम् विभाजन

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री संजय जनवेजा अधिवक्ता वादीगण
2. प्रतिवादी संख्या 1 ता 17 के विरूद्ध एक पक्षीय दिनांक 17.05.2018
3. पैरोकार राज

प्रतिवादी संख्या 18

लगातार 2

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

—:: निर्णय ::—

दिनांक :— 09.07.2018

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 17 के विरूद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 आर.टी. ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसका संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि वादीगण संख्या 2 व 3 द्वारा वादी संख्या 1 को दस्तावेज मुखत्यारनामा आम के तहत अपना मुखत्यारे आम मुकरर्र किया हुआ है। उक्त मुखत्यारनामा आज दिनांक तक वैध है तथा मुखत्यारनामा आम देहिन्दागण जीवित है।

वादीगण व प्रतिवादीगण के पास वाके चक 5 वाई तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 35/41, 38/38, 42/35 में संयुक्त खाता में कृषि भूमि दर्ज कागजात माल है। जिसका वादीगण से घरू बंटवारा किया हुआ है।

चक 5 वाई तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 35/41 का मुरब्बा नम्बर 58 की कुल 6.325 हैक्टर नहरी कृषि भूमि में से 0.822 हैक्टर भूमि वादी संख्या 1 के नाम से तथा 0.759 हैक्टर भूमि वादीगण संख्या 2 व 3 के नाम से बहिस्सा बराबर, इसी चक के खाता संख्या 38/38 का मुरब्बा नम्बर 55 व 60 की कुल 12.260 हैक्टर नहरी बारानी कृषि भूमि में से 6.130 हैक्टर भूमि वादीगण संख्या 2 व 3 के नाम से बहिस्सा बराबर एवं इसी चक के खाता संख्या 42/35 का मुरब्बा नम्बर 44 की कुल 6.200 हैक्टर कृषि भूमि में से 1.033 हैक्टर कृषि भूमि वादीगण संख्या 2 व 3 के नाम से संयुक्त खाता में दर्ज कागजात माल है तथा शेष भूमि प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 17 व प्रतिवादी संख्या 8 व 9 के पिता स्व. श्री साधू सिंह के नाम से दर्ज कागजात माल है।

वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा अपनी उक्त भूमि का घरू तौर पर अर्सा दराज पूर्व बंटवारा कर लिया था तथा मुताबिक घरू बंटवारानामा वाके चक 5 वाई तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 35/41 का मुरब्बा नम्बर 58 की कुल 6.325 हैक्टर नहरी कृषि भूमि में से किला नम्बर 4, 7, 14, 17 की 1.012, 11/0.126 हैक्टर किला नम्बर 20 के साथ चिपता हुआ, 20/.190, 24/0.253 = 1.581 हैक्टर भूमि (वादी संख्या 1 को 0.822 हैक्टर भूमि व वादी संख्या 2 व 3 को 0.759 हैक्टर भूमि), इसी चक के खाता संख्या 38/38 का मुरब्बा नम्बर 55 व 60 की कुल 12.260 हैक्टर नहरी बारानी कृषि भूमि में से मुरब्बा नम्बर 55 का किला नम्बर 3/.114, 4/.228, 5/.228, 11 से 20 प्रत्येक 0.253, कुल 3.100 हैक्टर भूमि व मुरब्बा नम्बर 60 का किला नम्बर 11 से 14 प्रत्येक 0.253, 15/.228, 16/0.228, 17 से 19 प्रत्येक 0.253, 20/.189, 23/.133 किला नम्बर 24 के साथ चिपता हुआ, 24/.253, 25/.228 = 3.030 हैक्टर वादीगण संख्या 2 व 3 को बहिस्सा बराबर कुल 6.130 हैक्टर भूमि एवं इसी चक के खाता संख्या 42/35 का मुरब्बा नम्बर 44 की कुल 6.200 हैक्टर कृषि भूमि में से मुरब्बा नम्बर 44 का किला नम्बर 21/.046 किला नम्बर 22 के साथ चिपता हुआ, 22 से 24 प्रत्येक 0.253, 25/1 का .228 कुल 1.033 हैक्टर कृषि भूमि वादीगण संख्या 2 व 3 को बहिस्सा बराबर प्राप्त हुई है। जिस पर वादीगण अर्सा दराज से काबिज चला आ रहा है काश्त कर रहें है तथा वादीगण ने भारी मेहनत करे व काफी रूपया खर्च करके उक्त भूमि में सुधार कार्य करवाए हैं तथा भूमि को समतल करवाया है, वर्तमान में उक्त भूमि बहुत उपजाउ बन चुकी है।

वादीगण अपने हिस्सा की भूमि में सुधार कार्य करवाना चाहते हैं तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठाना चाहते हैं, मगर राजस्व रिकार्ड में भूमि मुश्तरका खाता में दर्ज होने रहने से वह सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पा रहे तथा मामला लगान अदायगी पानी बारी के समय आदि को लेकर भी हमेशा विवाद बना रहता है, इसलिए वादीगण उक्त वर्णित कब्जानुसार बंटवारा करदाकर राजस्व रिकार्ड में किलावाईज दर्ज करवाने व अलग खाता कायम करवाने के अधिकारी है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

लगातार 3

वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण को उक्त भूमि घरू बंटवारानुसार व कब्जानुसार करवाने के लिए कई बार आग्रह किया है, पहले तो प्रतिवादीगण टाल मटोल करते रहें, दिनांक 10.03.2018 को उन्होने सहमति से खाता विभाजन करने से साफ इन्कार कर दिया, यही वाद कारण है।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वाद पत्र बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री किया जावे :–

1. चक 5 वाई तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 35/41 का मुरब्बा नम्बर 58 की कुल 6.325 हैक्टर नहरी कृषि भूमि में से किला नम्बर 4, 7, 14, 17 की 1.012, 11/.126 हैक्टर किला नम्बर 20 के साथ चिपता हुआ, 20/.190, 24/0.253 = 1.581 हैक्टर भूमि में से वादी संख्या 1 को 0.822 हैक्टर भूमि का व वादीगण संख्या 2 व 3 को 0.759 हैक्टर भूमि का बहिस्सा बराबर व इसी चक के खाता संख्या 38/38 का मुरब्बा नम्बर 55 व 60 की कुल 12.260 हैक्टर नहरी बारानी कृषि भूमि में से मुरब्बा नम्बर 55 का किला नम्बर 3/.114, 4/.228, 5/.228, 11 से 20 प्रत्येक 0.253 = 3.100 हैक्टर भूमि व मुरब्बा नम्बर 60 का किला नम्बर 11 से 14 प्रत्येक 0.253, 15/.228, 16/.228, 17 से 19 प्रत्येक .253, 20/.189, 23/.133 किला नम्बर 24 के साथ चिपता हुआ, 24/.253, 25/.228 = 3.030 हैक्टर कुल 6.130 हैक्टर भूमि एवं इसी चक के खाता संख्या 42/35 का मुरब्बा नम्बर 44 की कुल 6.200 हैक्टर कृषि भूमि में से मुरब्बा नम्बर 44 का किला नम्बर 21/.046 किला नम्बर 22 के साथ चिपता हुआ, 22 से 24 प्रत्येक 0.253, 25/1 का .228 कुल 1.033 हैक्टर कृषि भूमि का वादीगण संख्या 2 व 3 को बहिस्सा बराबर खातेदार घोषित किया जावे तथा इसी अनुसार बंटवारा कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाया जाकर अलग खाता कायम करवाया जावे।
2. अन्य कोई अनुतोष जो न्यायालय उचित समझे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिऐ सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 17 बाद तामिल उपस्थित नहीं आनें पर दिनांक 17.05.2018 को उनें विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई।

पैरोकार राज द्वारा दावा का बिन्दुवार जबाब प्रस्तुत कर कथन किया कि राज्य पक्ष का ध्यान रखते हुए उचित निर्णय पारित किया जावे।

प्रकरण में किसी प्रकार का कोई प्रतिवाद नहीं होनें के कारण तनकी बनना नहीं पाये जानें से वादीगण के सुयोग्य अधिवक्ता की बहस को सुना गया दौराने बहस विद्धान अधिवक्ता अपनें वाद पत्र को दोहराते हुए वाद वादीगण स्वीकार करनें हेतु निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन वाद वादी प्राथमिक रूप से स्वीकार किया स्वीकार किया जाकर चक 5 वाई तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 35/41 का मुरब्बा नम्बर 58 की कुल 6.325 हैक्टर नहरी कृषि भूमि में से 1.581 हैक्टर भूमि में वादी संख्या 1 को 0.822 हैक्टर भूमि का व वादीगण संख्या 2 व 3 को 0.759 हैक्टर भूमि का बहिस्सा बराबर व इसी चक के खाता संख्या 38/38 की कुल 12.260 हैक्टर नहरी बारानी कृषि भूमि में 6.130 हैक्टर भूमि एवं इसी चक के खाता संख्या 42/35 की कुल 6.200 हैक्टर कृषि भूमि में से 1.033 हैक्टर कृषि भूमि का वादीगण संख्या 2 व 3 को बहिस्सा बराबर का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत खातेदार घोषित करते हुए तहसील श्रीगंगानगर से वादी के हिस्सा एवम् कब्जा के अनुसार मय नक्शा में विभाजन के दौरान विभाजित होनें वाली भूमि में पंहुचनें हेतु रास्ते को दर्शाते हुए वर्तमान जमाबन्दी सहित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 18 ता 21 को मध्यनजर रखते हुऐ तथा बैक ऋण के संबंध में विभाजन प्रस्ताव भिजवानें हेतु लिखा गया।

तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा विभाजन प्रस्ताव भिजवाये गये। विभाजन प्रस्ताव पर उभयपक्ष के अधिवक्ता को सुना गया उभयपक्ष के अधिवक्ता द्वारा विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए कथन किया कि मुताबिक विभाजन प्रस्ताव भूमि का विभाजन किया जाता है, तो वादीगण को कोई एतराज नहीं है। विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन वाद वादी स्वीकार किया जाकर स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाया गया।

–:: आदेश ::–

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के अन्तर्गत वाद वादीगण स्वीकार किया तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा भिजवाये गये विभाजन प्रस्ताव पर अनुसार उभयपक्ष की खातेदारी भूमि का विभाजन निम्नानुसार किया जाता है :–

1. वादी संख्या 1 अजायब सिंह पुत्र श्री श्याम सिंह जाति जटसिख निवासी मोहनपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर के हक हिस्सा की भूमि का विवरण :–

चक नम्बर	खाता संख्या	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
5 वाई	35/41	58	11/2 का .126, 20/1 का .190, 4/1 का .102, 7/1 का .101, 14/1 का .101, 17/1 का .101, 24/1 का .101	0.822 हैक्टर

2. वादी संख्या 2 मनजीत कौर पत्नी श्री उजागर सिंह तथा वादी संख्या 3 सरदूल सिंह पुत्र श्री उजागर सिंह जाति जटसिख साकिन मोहनपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर के हक हिस्सा की भूमि का विवरण :–

<table>
<tr><th>चक नम्बर</th><th>खाता संख्या</th><th>मुरब्बा नम्बर</th><th>किला नम्बर</th><th>कुल भूमि</th></tr>
<tr><td rowspan="4">5 वाई</td><td>35/41</td><td>58</td><td>4/2 का .151, 7/2 का .152, 14/2 का .152, 17/2 का .152, 24/2 का .152</td><td>0.759 हैक्टर</td></tr>
<tr><td rowspan="2">38/38</td><td>55</td><td>3/2 का .114, 4/.228, 5/.228, 11 ता 20 सालम</td><td>3.100 हैक्टर</td></tr>
<tr><td>60</td><td>11 ता 14 सालम, 15/.228, 16/.228, 17 ता 19 सालम, 20/1 का .177, 20/2 का .012, 23/2 का .127, 24/.253, 25/.228</td><td>3.024 हैक्टर</td></tr>
<tr><td>42/35</td><td>44</td><td>21/2 का .043, 22 ता 24 सालम, 25/.228</td><td>1.030 हैक्टर</td></tr>
<tr><td colspan="5">कुल भूमि :– 7.913 हैक्टर</td></tr>
</table>

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे। तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। नियमानुसार स्टाम्प डयुटी प्रस्तुत किये जानें पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिनांक 09.07.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(वेशपाल आहजा)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
श्रीगंगानगर